रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 384] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 1988/आषाढ़ 23, 1910
No. 384] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 1988/ASADHA 23, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 14 जुलाई 1988

अधिसूचना

सा. का. नि. 786 (अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए मुरगांव पत्तन न्यास जहाजों की गिरफ्तारी और बिक्री विनियम, 1988 को जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिष्ट है तथा जिसका प्रकाशन गोवा सरकार के राजपत्र में 18 अप्रैल, 1988 और 22 अप्रैल, 1988 को हुआ था, अनुमोदित करती है।

[फा. सं. पी. आर. 16012/6/88 पी० जी०]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 (2) के साथ पठित धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डल एतद्-द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है : यथा:-

(1) संक्षिप्त नाम और आरम्भ :—

1. इन विनियमों को मुरगांव पत्तन न्यास (जहाजों का आक्षेप अथवा अवरोध तथा बिक्री) विनियम, 1988 कहा जाएगा।

2. ये विनियम उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस तारीख को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होता है।

(2) लागू होना :—

ये विनियम उन सभी जहाजों पर लागू होंगे, जिनके बारे में प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अथवा कोई विनियम अथवा इसके तहत बनाये गये आदेश के तहत कोई दर अथवा जुर्माना अथवा दोनों की अदायगी करनी है, किन्तु केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के हैं अथवा इनकी सेवा में हैं अथवा किसी विदेशी राष्ट्र के जंगी जहाज पर ये विनियम लागू नहीं होंगे।

(3) परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) "अधिनियम" का अर्थ प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) है,

(2) "उप संरक्षक" का अर्थ मुरगांव पत्तन न्यास के समुद्री विभाग में फिलहाल प्रभारी अधिकारी और इसमें उप संरक्षक के उप अधिकारी सहायक भी शामिल है; तथा उप संरक्षक के प्राधिकार के तहत कार्य कर रहे कोई दूसरे अधिकारी है ;

(3) "फार्म" का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म है;

(4) "दर" का अर्थ अधिनियम के अधीन अदा किये जाने वाले दर अथवा जुर्माना है ;

(5) इस विनियम में प्रयुक्त शब्द और वाक्यांश किन्तु जिन्हें कि इसमें परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो इन शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ वही होगा, जो अधिनियम में दिया गया है।

(4) जहाजों का आसेध अथवा संरोध:—

(1) कोई भी ऐसा जहाज जो दर/दण्ड की अदायगी किये बिना ही पत्तन में रुका हुआ है, तो चूक करने वाले जहाज के मास्टर के नाम फार्म-1 में उप संरक्षक डिमाण्ड तैयार करेगा कि इस डिमाण्ड को तैयार करने की तारीख से 7 दिन के भीतर सभी दर अथवा दण्ड मास्टर पत्तन को अदा करें;

(2) संबंधित जहाज के मालिक अथवा एजेन्ट के नाम तैयार और जिसकी की अदायगी मण्डल के नाम बाकी है की कथित डिमाण्ड में दर अथवा दण्ड के ब्यौरो के साथ दिनों की एक प्रति संलग्न होगी ;

(3) कथित डिमाण्ड को मास्टर पर तामील करना होगा और मास्टर उपलब्ध न होने पर जहाज के मस्तूल पर डिमाण्ड नोटिस को चिपकाने को डिमाण्ड नोटिस मास्टर पर तामील किया गया माना जाएगा।

(4) मास्टर के नाम तैयार डिमाण्ड नोटिस में निर्धारित तारीख के भीतर चूककर्ता जहाज का मास्टर दर/दण्ड अथवा इसके अंश का भुगतान करने से इन्कार करता है अथवा लापरवाही करता है, जहाज और इसके टेकल, अपारेल और फर्नीचर अथवा इसके अंश को आसेध अथवा संरोध करने की कार्यवाई मण्डल करेगा और जहाज को तब तक रोके रखेगा जब तक कि मण्डल को देय रकम और इसके साथ जहाज के आसेध अथवा संरोध की अवधि के दौरान जमा रकम मण्डल को अदा नहीं किया जाता है।

(5) चूककर्ता जहाज के आसेध अथवा संरोध के लिए उपसंरक्षक फार्म-II में यह स्पष्ट करते हुए वारंट जारी करेगा कि जहाज का आसेध या संरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि मण्डल के संपूर्ण संतोषजनक रूप में मण्डल को देय रकम तथा इसके साथ दर अथवा दण्ड और लागत की जमा रकम मण्डल को अदा नहीं करती है।

6. (क) संरोध का वारंट जहाज के मास्टर पर तामील की जाए और इसकी एक प्रति जहाज के मस्तूल पर चिपकाई जाए।

(ख) यदि मास्टर उपलब्ध नहीं है अथवा वारंट की तामील से बचने की चेष्टा करता है, तो जहाज के मस्तूल पर वारंट की प्रति चिपकाने को मास्टर पर वारंट तामिल किया किया गया माना जाएगा।

(7) यदि कथित दर/दण्ड अथवा जहाज के आसेध अथवा संरोध अथवा इसे रखने की लागत जहाज की जब्ती अथवा संरोध के पांच दिन के भीतर मण्डल को संतोषजनक रूप में जहाज का मालिक अथवा मास्टर भुगतान नहीं करता है, तो इस प्रकार आसेध अथवा संरोध जहाज अथवा अन्य चीजों को मण्डल बिक्री करेगा।

(8) यदि विदेशी जहाज का आसेध या संरोध किया गया हो तोउस देश के दूतावास और भारत सरकार के जलभूतल परिवहन मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

5. आसेध अथवा संरोध जहाज की बिक्री :—

(1) आसेध जहाज की आरक्षित बिक्री मूल्य का पता लगाने के लिए उपसंरक्षक मान्यताप्राप्त सर्वेक्षकों द्वारा जहाज का मूल्यांकन सर्वेक्षण करायेगा।

(2) जहाज और टेकल और इसके अपारेल और फर्नीचर बिक्री के लिए रखने से पहले उप संरक्षक इस संबंध में महानिदेशक, शिपिंग की अनुमति प्राप्त करेगा।

(3) वस्तुओं की बिक्री अधिनियम, 1930 के प्रावधानों और निविदा सूचना के अनुसार बिक्री शर्तों के अनुसार बिक्री की जाएगी।

(4) फार्म-III में दिये अनुसार प्रत्याशित क्रेताओं के मुहरबंद निविदाएं समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर मंगवाया जाएगा। यह विज्ञापन कम से कम चार प्रमुख समाचार पत्रों में दिया जाएगा, जिसमें हिन्दी और एक क्षेत्रीय भाषा दैनिक भी शामिल है। इस विज्ञापन में निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख में दी जाएगी।

(5) समाचारा पत्रों में बिक्री की नोटिस प्रकाशित कराने के बाद उप संरक्षक द्वारा नियत विनिर्दिष्ट अवधि में प्रत्याशित क्रेताओं को जहाज का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

(6) प्रत्येक निविदा के साथ उप संरक्षक द्वारा नियत प्रत्येक मामले में बयाना धन होगा, जिसे कि बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(7) अंतिम तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) निविदाओं को खोलने के लिए उप संरक्षक द्वारा नियत तारीख और समय पर उपस्थिति निविदाकारों की उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी और निविदा खोलने के लिए नियत तारीख को कोई निविदाकार उपस्थिति नहीं रहता है, बिना कोई कारण दिये और खोले निविदा अस्वीकार की जाएगी।

(9) आफर स्वीकार करने की सूचना विजयी निविदाकार को दी जाएगी।

(10) विजयी निविदाकार अपने द्वारा लगायी गई बोली का 25 प्रतिशत रकम निविदा स्वीकार करने की तारीख से 5 दिन के भीतर और शेष रकम इस तारीख से 15 दिन के भीतर अदा करेगा। निविदाकार निविदा मूल्य के साथ साथ उप संरक्षक द्वारा जानकारी जमा के रूप में निर्धारित मूल्य के लिए रकम बैंक गारंटी में देगा, जिसे कि सफल समापन के बाद तीन महीनों के भीतर वापस किया जाएगा। तथापि इस जमा पर पत्तन द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(11) निविदा स्वीकार करने की तारीख से 5 दिन के भीतर बोली की 25 प्रतिशत रकम अदा न करने पर बिक्री, जब तक अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, अपने आप रद्द हो जाएगा और बयाना धन जब्त

किया जाएगा और जहाज को फिर से बिक्री निविदाकार की जोखिम पर बेचा जाएगा, जिसकी निविदा स्वीकार की गई थी।

(12) किसी भी कारण यदि जहाज को हारबर से 30 दिन के भीतर हटाया नहीं जाता है, तो पत्तन की दर सूची में प्रावधान किये गए अनुसार साधारण शुल्क के अधिक अतिरिक्त घाट भाड़ा शुल्क वसूला जाएगा।

(13) क्रेता को हर हालत में हारबर के भीतर अथवा पत्तन की सीमा में जहाज को विखण्डित अथवा तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि अन्यथा विशेष अनुमति नहीं दी जाती है।

(6) जहाज के क्रेता के दायित्व :—

(1) निविदा स्वीकार करने की तारीख से सभी दर/दण्ड तथा अन्य शुल्क क्रेता के खाते में डाल दिये जाएंगे।

(2) निविदा स्वीकार करने पर क्रेता को उप संरक्षक द्वारा 30 दिन के लिए आकलित पत्तन शुल्क, फीस, तथा शुल्क के रूप में रकम जो कि इस प्रकार की अवधि के लिए देय है, को पत्तन के पास जमा करना होगा।

(3) सीमा-तथा उत्पादशुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर आदि क्रेता के खाते में डाले जाएँगे और इस प्रकार की शुल्क और करों का वह भुगतान सम्बन्धित प्राधिकारी को करेगा और पत्तन द्वारा जहाज की निकासी मंजूर करने से पहले इस प्रकार किये गये भुगतान की रसीदें क्रेता पत्तन के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) (क) निविदा स्वीकार करने के तत्काल बाद क्रेता जहाज की देख-रेख और अनुरक्षण के लिए प्रमाणक मास्टर, प्रमाणक अधिकारी और प्रमाणक इंजीनियरों सहित काफी कर्मीदल भी उस अवधि तक तैनात करेगा जब तक कि जहाज हारबर के भीतर होता है।

(ख) यदि जहाज की देख रेख और अनुरक्षण का प्रबन्ध क्रेता द्वारा नहीं किया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए पत्तन प्राधिकारी उचित व्यक्तियों को भाड़े पर लेगा और इस पर होने वाले सभी उचित खर्च क्रेता से वसूला जायेगा।

फार्म-I

[देखें विनियम-4(1)]

सेवा में,

मास्टर,

एम. बी./एस. एस.

विषयः—एम. बी. दर/दण्ड— ———————————— दर/दण्ड का भुगतान न करना ———————————— तत्काल भुगतान की माँग करते हुए नोटिस जारी करना

महोदय,

कृपया मेरे उपर्युक्त पत्र को देखें। आपसे अनुरोध है कि प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के प्रावधान / इसके तहत बनाये गये विनियम और आदेशों के तहत देय निम्नलिखित दरों/ दण्ड के बाबत दिनांक ———————————— तक के लिए रु. ———————— रकम का भुगतान पत्तन न्यास को दिनांक ———————— से पहले करें।

1. ————————

2. ————————

3. ————————

जहाज के मास्टर, अथवा एजेन्ट के रूप में उपरलिखित दर/दण्ड के बाबत माँगी गई पत्तन बकाया को चुकाने के लिए अब तक आपके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। दिनांक ———————————— तक आपके अधीन जहाज से रु. ———————— की रकम बकाया है।

2. उपर्युक्त बकाया का भुगतान करने के लिए आपको नोटिस दी जाती है और इस नोटिस की प्राप्ति के सात दिन के भीतर बकाया का भुगतान करें और ऐसा नहीं करने पर जहाज और टैकल तथा इसके अपारेल एवं फर्नीचर तथा इसके अंश के आसेध अथवा संरोध के लिए प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा-64 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा तथा इसे तब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक कि मण्डल को देय बकाया रकम, जिसमें जहाज के आसेध अथवा संरोध की अवधि के दौरान जमा रकम भी शामिल है, का भुगतान नहीं किया जाता है।

भवदीय,

उपसंरक्षक

प्रतिलिपिः (1) सर्वश्री मालिक एम. वी.

(2) सर्वश्री एजेन्ट्स जहाज

फार्म—II

[देखें विनियम-4(5)]

सेवा में,

मास्टर,

एम. वी./एस. एस.

विषयः— निर्पिंग ———————— एम. वी. दर/दण्ड ———————— दर/दण्ड का भुगतान न करना आसेध आदेश जारी करना :

संदर्भः—मेरा दिनांक ———————— का समसंख्यक पत्र।

महोदय,

कृपया, मेरे उपर्युक्त पत्र को देखें। आपसे अनुरोध किया जाता है कि दिनांक ———————— तक के लिए दर / दण्ड के बाबत ———————— पत्तन न्यास को देय रु. ———————— की रकम दिनांक ———————— तक भुगतान करें। जहाज के मास्टर अथवा एजेंट्स के रूप में दिनांक ———————— को माँग की गई ———————— पत्तन न्यास को देय बकाया चुकाने के लिए आपके द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके अधीन जहाज से दिनांक ———————— तक के लिए दर/दण्ड के बाबत करीब रु. ———————— की रकम बकाया है।

-------------- मंडल का देय उपर्युक्त दर/दण्ड का भुगतान न करने को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा-64 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इसके द्वारा आदेश पारित करता हूं कि जहाज एम० वी. -------------------- को इसके द्वारा आसेध किया जाता है और इसे तब तक रोक कर रखा जाएगा, जब तक कि ---------------- मण्डल को देय रकम, जिसमें जहाज के आसेध और रोके रखने की अवधि के दौरान ऐसी रकम शामिल है, का भुगतान नहीं किया जाता है।

कृपया नोट करें कि आसेध आदेश की तारीख (अर्थात) ---------------- से 5 दिन के भीतर उपर्युक्त रकम और आसेध की लागत का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कथित अधिनियम की धारा-64 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत उपर्युक्त जहाज की बिक्री करने के लिए मैं बाध्य कर दूंगा और बिक्री की आय को मण्डल को देय शुल्कों के बावत, जिसमें जहाज की बिक्री की लागत भी शामिल है, समायोजन किया जाएगा।

भवदीय

उप संरक्षक

प्रतिलिपि

(1) संबंधी मालिक, एम. वी.

(2) संबंधी एजेन्ट, जहाज

फार्म—III

[देखें विनियम —5(4)]

विज्ञापन :

प्रमुख पत्तन अधिनियम, 1963 की धारा —64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "जहां है जैसा है" आधार पर जहाज एम. वी. ------ -------------- की बिक्री के लिए ---------- पत्तन न्यास सभी इच्छुक क्रेताओं से मुहरबंद निविदाओं का आमंत्रण करता है।

2. जहाज का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

जहाज का नाम ------------------------------------

निर्माण वर्ष ------------------------------------

जी आर.टी. ------------------------------------

एन आर टी. ------------------------------------

लम्बाई ------------------------------------

चौड़ाई ------------------------------------

डुबाव ------------------------------------

कुल धारिता ------------------------------------

वर्गीकरण ------------------------------------

इंजन ------------------------------------

बी. एच. पी. ------------------------------------

एन. डी. टी. ------------------------------------

निर्माण वर्ष ------------------------------------

यदि ------------------------------------

3. उपसंरक्षक, -------------------------------- पत्तन न्यास को सम्बोधित दिनांक ---------- ------------ को ------------ बजे से पहले मुहरबंद लिफाफों में आफरों को आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ -------------------- के पक्ष में ------------ (स्थान) पर देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में रु ------------------ (रुपए ------------------------------------) का बयाना धन भी भेजना चाहिए। लिफाफे पर एम. वी. ------------ की खरीद के लिए निविदा लिखकर निविदा प्रस्तुत करें।

4. निविदाएं, जो अंतिम तारीख और समय के बाद प्राप्त हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. जहाज की खरीद के लिए मुहरबंद निविदाओं को उप संरक्षक, ------------------------------ पत्तन न्यास की उपस्थिति में उनके कार्यालय में खोली जाएगी। विजयी निविदाकारों को आफिर स्वीकार करने की सूचना दी जाएगी।

6. निविदा स्वीकार करने की तारीख से पांच दिन के भीतर निविदाकार को उसके द्वारा लगाई गई बोली का 25 प्रतिशत रकम का भुगतान करना होगा और शेष उस तारीख से 15 दिन के भीतर भुगतान की जाएगी। बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा को स्वीकारने की तारीख से पांच दिन के भीतर बोली की 25 प्रतिशत रकम का भुगतान न करने पर, जब तक कि अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है निविदा अपने आप रद्द हो जायेगी और रुपये ---------------- का बयाना धन जब्त किया जायेगा तथा निविदाकार, जिसकी निविदा स्वीकारी गई थी, की जोखिम और लागत पर जहाज को फिर से बिक्री की जाएगी। निविदा स्वीकार करने की तारीख से 15 दिन के कथित समय के भीतर बिक्री की शेष रकम का भुगतान न करने पर बिक्री अपने आप रद्द हो जाएगी और रु. ------------------ बयाना धन की जब्ती की जायेगी। पहले ही भुगतान की गई 25 प्रतिशत की रकम को कथित फिर से बिक्री करने से उत्पन्न किसी कमी अथवा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए रखी जाएगी।

7. सीमा, उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क बिक्री कर, स्थानीय कर आदि क्रेता के "लेखा" में जमा होगा।

8. निविदाओं को दिनांक -------------------------- को ------------------------ बजे उप संरक्षक, ---------------- पत्तन न्यास की उपस्थिति में उनके कार्यालय में खोला जाएगा और बिक्री निविदा को स्वीकार करना उपसंरक्षक, ------------------ पत्तन न्यास के एकमात्र स्वविवेक पर होगा।

9. जहाज को बिक्री की तारीख से 30 दिन के भीतर पत्तन से हटाना होगा। इस अवधि के दौरान जहाज की देखरेख और अनुरक्षण के लिए प्रामाणित मास्टर, प्रामाणिक अधिकारी और प्रामाणिक इंजिनीयरों सहित पर्याप्त कर्मीदल की नियुक्ति की जाएगी। इसका प्रबन्ध क्रेता करेगा।

10. प्रमुख पत्तन न्यास (जहाज का आसेध अथवा संरोध और बिक्री) विनियम, 1987 के अनुसार जहाज की बिक्री की तारीख से जहाज को हारबर से वास्तव में हटाने की तारीख तक सभी दर/दण्ड का भुगतान क्रेता करेगा।

11. हर हालत में जहाज को हारबर अथवा पत्तन की सीमा के भीतर विखंडित करने की अनुमति क्रेता को नहीं दी जाएगी, जब तक कि अन्यथा इस प्रकार करने की अनुमति दी गई हो।

12. उप संरक्षक के साथ पहले ही नियोजित कर दिनांक---------------------से दिनांक ------------------------तक जहाज, जो कि -------------------------पर खड़ा है का निरीक्षण किया जा सकता है।

13. पत्तन को यह अधिकार होगा कि वह किसी एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर सकता है।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 14th July, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 786(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approve the Mormugao Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessels) Regulations, 1988 made by the Board of Trustees of Mormugao Port in exercise of powers conferred on them by section 123 of the said Act, and published in the Government of Goa Gazette dated 18th April, 1988 and 22nd April, 1988 and as set out in the Schedule to this notification.

[F. No. PR-16012/6/88—PG]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy

SCHEDULE

In exercise of the Powers conferred by section 123 read with section 124 (2) of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement: (i) These regulations may be called the Mormugao Port Trust (Distraint or Arrest and Sale of Vessel) Regulations, 1988.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government in the Official Gazette.

2. Application: These regulations shall apply to all vessels in respect of which any rates or penalties or both are payable under the Major Port Trusts Acts, 1963 or under any regulations or orders made thereunder, but shall not apply to vessels belonging to, or in the service of, the Central Government or a State Government or any vessel of war belonging to any Foreign State.

3. Definitions: In these regulations, unless the context otherwise requires:

(i) "Act" means the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963);

(ii) "Deputy Conservator" means the officer for the time being in charge of the Marine Department of Mormugao Port Trust and includes the Deputies and Assistants to the Deputy Conservator and any other Officers acting under the authority of the Deputy Conservator.

(iii) "Form" means the form annexed to these regulations;

(iv) "rates" means the rates or penalties payable under the Act.

(v) words and expressions used in these regulations but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Distraint or arrest of vessels: (1) where any vessel in respect of which rates/penalties have not been paid is lying at the Port, a demand in Form I shall be made by the Deputy Conservator upon the Master of the defaulting vessel requiring the said Master to pay all the rates or penalties within the period of seven days from the date of issue of the said demand.

(2) The said demand shall accompany the copy of the bills containing the full particulars of rates or penalties which were raised against the owner or agent of the concerned vessel and payment of which still remains due to the Board.

(3) The said demand shall be served upon the Master and in the event of non-availability of the Master, the affixing of the demand notice on the mast of the vessel shall be deemed as service of the demand upon the Master.

(4) If the Master of the defaulting vessel refuses or neglects to pay the rates/penalties or any part thereof within the time limit specified in the demand made upon the Master, the Board may proceed to distrain or arrest such vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, or any part thereof and detain the same until the amount so due to the

Board, together with such further amount as may accrue for any period during which the vessel is under distraint or arrest, is paid.

(5) In order to distrain or arrest the defaulting vessel, the Deputy Conservator shall issue a warrant of arrest in Form II clearly specifying the amount due and indicating that the distraint or arrest shall continue until the amount so due to the Board together with further accrual of rates or penalties and costs are paid towards full satisfaction of the Board.

(6) (a) The warrant of arrest shall be served upon the Master of the vessel and a copy thereof shall also be affixed on the mast of the vessel.

(b) In cases where the Master is not available or avoids service of the warrant, the fixing of the copy of the warrant on the mast of the vessel shall be deemed as service of the warrant upon the Master.

(7) If the said rates/penalties or cost of the distraint or arrest of the vessel or of the keeping of the same are not paid by the owner or Master or agent of the vessel towards full satisfaction of the Board within a period of five days next after the distress or arrest has been made, the Board shall cause the vessel or other things so distrained or arrested to be sold.

(8) In the case of a foreign vessel placed under distraint or arrest by an order, the Embassy of the Flag Country and the Government of India in the Ministry of Surface Transport shall also be informed.

5. Sale of distrained or arrested vessel. (1) The Deputy Conservator shall have a valuation survey of the vessel carried out by approved Surveyors to ascertain the reserve sale price of the distrained vessel.

(2) The Deputy Conservator shall obtain the permission of the Director General, Shipping before putting the vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, to sale.

(3) The sale shall be held in accordance with the provisions of the Sale of Goods Act, 1930 and also in terms of the conditions of sale as per Tender Notice.

(4) Sealed tenders shall be invited from the prospective buyers through press advertisement, as in Form III, at least in four leading newspapers, including Hindi and one regional language daily, specifying the last date for the receipt of tenders.

(5) The prospective buyers shall be permitted to inspect the vessel after the sale notice is published in the Press, during a specified period which shall be fixed by the Deputy Conservator.

(6) Each tender shall be accompained by an earnest money deposit, to be paid by bank draft, to be fixed by the Deputy Conservator in each case.

(7) The tenders received after the due date and time shall be summarily rejected.

(8) The sealed tenders shall be opened in the presence of tenderers present on the date and time fixed by the Deputy Conservator for opening the tenders and if any tenderer is not present at the time fixed for opening the tenders, his tender may be rejected without opening, giving the reasons.

(9) The acceptance of the offer shall be communicated to the successful tenderer.

(10) The successful tenderer shall pay 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender and the balance amount within 15 days from that date. In addition to the tender value the successful tenderer will also deposit such money/bank guarantee for a value as determined by the Deputy Conservator as security deposit which will be returned within a period of 3 months after successful completion. However, no interest shall be paid by the port on the deposit so made.

(11) In default a payment of 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender, the sale shall, unless otherwise ordered, stand automatically revoked, and the earnest money shall be forfeited, and the vessel shall be resold at the risk of the tenderer whose tender was accepted.

(12) If the vessel is not removed from the harbour for any reason within 30 days, additional berth hire charges beyond the normal charges, as laid down in the Port's Scale of Rates, shall be levied.

(13) Under no circumstances, the buyer shall be permitted to dismantle or break the ship inside the harbour or within the port limits, unless or otherwise it is specifically permitted to do so.

6. Liabilities of the buyer of the vessel:—

(1) On and from the date of acceptance of the tender all rates/penalties and other charges shall be to the buyer's account.

(2) Upon acceptance of the tender, the buyer shall deposit with the port an amount representing 30 day's port dues, fees and charges as may be estimated by the Deputy Conservator to be payable for such period.

(3) Customs and Excise duties, Sales Tax, Local Taxes, etc. shall be as applicable on buyer's account and he should remit the amounts on account of such

duties and taxes to the concerned authorities and produce the receipts for such payments before the clearance is granted to the vessel by the port.

(4) (a) Immediately after the acceptance of the tender the buyer shall make all arrangements for manning and maintenance of the vessel by a certificated master, certificated officers and certificated engineers with an adequate number of crew during the period the vessel is kept inside the harbour.

(b) In case of failure by the buyer in making necessary arrangements for manning and maintaining the vessel, the port authorities may hire and employ proper persons for that purpose and all reasonable expenses incurred in this connection shall be recoverable from the buyer.

FORM-I

[See regulation 4(1)]

To

The Master,

m. v./S. S.

Subject : m. v. Rates/Penalties—Non-payment of rates/penalties-Issue of Notice demanding immediate payment.

Sir,

Please refer to my letter cited. You were requested to pay a sum of Rs. as on towards the following rates/penalties payable under the provisions of the Major Port Trusts Act, 1963/ regulations or orders made thereunder due to the Port Trust on or before..... ....

1..... 2..... 3.....

No steps have so far been taken by you as the Master of the vessel, or by the Agents, to pay dues to the Port as demanded towards aforesaid rates/penalties.

As on an amount of Rs. is due from the vessel under your command.

2. Notice is hereby given to you for making the above payment in this seven days on receipt of this Notice, failing which provisions of section 64 of the Major Port Trusts Act, 1963 will be invoked to distrain or arrest the vessel and the tackle, apparel and furniture belonging thereto, or any part thereof, and detain the same until the amount so due to the Board, together with such further amount as may accrue for any period during which the vessel is under distraint or arrest, is paid.

Yours faithfully,
Deputy Conservator

Copy to : M/s.
Owners of m. v.

Copy to : M/s.
Agents of the Vessel.

FORM - II

[See regulation 4(5)]

To

The Master,

m. v./S. S.

Subject :-SHIPPING - m. v. Rates/penalties—Non-payment of rates/penalties—Distrain order—Issue of.

Ref:- My letter of even number dated.

Sir,

Please refer to my letter cited. You were requested to pay a sun of Rs. ————as on———— towards the Rates/penalties due to the———— Port Trust on or before————No steps have so far been taken by you as master of the vessel or by the agents to pay the dues to the ———— ————Port Trust as demanded on————. You are hereby notified that an approximate amount of Rs.————towards rates/penalties as on————is due from the vessel under your command.

In view of the non-payment of the above rates/ penalties due to the————Board, I hereby pass orders in exercise of the powers given under the provisions of section 64 of the Major Port Trusts Act, 1963, that the vessel m. v. ————is hereby distrained and will be kept under detention until the amount due to the———— ————Board together with such further amount as may accrue for any period during which the vessel is distrained and detained is paid.

Please also note that in case the above said amount and the cost of the distraint is not settled within 5 days from the date of distraint order (i. e.) ———— I shall be constrained to sell the above vessel under the powers vested under section 64 of the said Act and the sale proceeds will be adjusted against the

charges due to the Board including the cost of the sale of the vessel.

Yours faithfully,
Deputy Conservator

Copy to : M/s.
Owners of m.v.

Copy to: M/s. Agent of the vessel.

FORM - III

[See regulation 5(4)]

ADVERTISEMENT

In exercise of the powers conferred by section 64 of the Major Port Trusts Act, 1963———— Port Trust invite sealed tenders from the intended purchasers for the sale of the vessel m. v.———— ————————on "as is where is" basis.

2. Brief particulars of the vessel are as follows:—

Name of the vessel	————
Year of Built	————
G. R. T.	————
N. R. T.	————
Length	————
Breadth	————
Depth	————
Deadweight	————
Classification	————
Engine	————
B. H. P.	————
I. D. T.	————
Year of Built	————
Yard	————

3. Offers in double sealed covers are invited before ————Hrs. on———— addressed to the Deputy Conservator———— Port Trust alongwith an Earnest Money Deposit of Rs.———— (Rupees———— ————————) by Bank Draft payable at ————in favour of ————. The tender should be submitted superscribing on the envelop TENDER FOR THE PURCHASE OF M. V. ————————

4. All tenders received after the due date and time will be summarily rejected.

5. The sealed tenders for the purchase of the vessel shall be opened on————in the presence of Deputy Conservator ————Port Trust in his office. The acceptance of the offer will be communicated to the successful tenderer.

6. The successful tenderer shall pay 25% of the bid amount within five days from date of acceptance of the tender and the balance within 15 days from the date. No Bank Guarantee will be accepted. In default of payment of 25% of the bid amount within five days from the date of acceptance of the tender, the sale shall unless otherwise ordered, stand automatically revoked and the Earnest Money Deposit of Rs.———— forfeited and the ship resold at the risk of cost of the tenderer, whose tender was accepted. Should the balance of sale consideration be not paid within the aforesaid time of 15 days from the acceptance of the tender, the sale shall stand automatically revoked and the earnest money of Rs.————be forfeited. The 25% amount already paid shall be retained to meet any shortfall or other expense arising out of the said resale.

7. Custom, Excise and import Duty, Sales Tax, Local Taxes, etc. as applicable on 'BUYERS ACCOUNT'.

8. The tenders will be opened on ————at ————in the presence of the Deputy Conservator ————Port Trust in his office and the acceptance of any tender will be at the sole discretion of the Deputy Conservator,———— ————Port Trust.

9. The ship should be removed from the ———— ————Port within 30 days from the date of sale. During this time the ship should be kept manned by certificated Master, certificated officers and certificated Engineers plus an adequate number of crew. These arrangements should be made by the Buyer.

10. The Buyer will have to pay all the rate/penalties from the date of sale of the vessel till the date of actual removal of the vessel from the harbour in accordance with the Major Port Trust (Distraint or Augt and sale of vessels) Regulations, 1987.

11. Under no circumstances, the Buyer will be permitted to dismantle the ship inside the harbour or within Port limits, unless or otherwise it is permitted to do so.

12. The ship which is lying at———— ————may be inspected by prior appointment with the Deputy Conservator, from———— to———— .

13. The Port reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason whatsoever.

(PORT TRUST)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988